न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 14 / 2023

उनवान

1. नवज्योत झंवर पुत्र बनवारी लाल झंवर नि0 रेलवे स्टेशन रोड भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज.)

--प्रार्थी

बनाम

1. शम्भू कंवर पत्नि अरविन्द सिह नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. कुंज बिहारी मानसिंह पुत्र अरविन्द सिंह राजपुत नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. जयन्त मानसिंह पुत्र अरविन्द सिंह राजपुत नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. सन्तरा देवी पत्नि सुखदेव मीणा नि0 विजय सिंह पथिक नगर भीलवाडा(राज.)
5. त्रिलोक कंवर पत्नि राघवेन्द्र सिंह राजपुत नि0 खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
6. भगवती लाल पुत्र भंवर लाल चपलोत नि0 अग्रसेन कॉलोनी आजाद नगर भीलवाडा(राज.)
7. शुभम पानगडिया पुत्र विनित पानगडिया महाजन नि0 विद्युत नगर नेहरू रोड भीलवाडा(राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 28.03.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भूॅ-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 20.01.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम खैराबाद प.ह. खैराबाद भू0अभि0नि0 क्षैत्र खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 545 की कृषि भूमि की आ0न0 57 रकबा 12.6576है0, आ0न0 58 रकबा 0.0253है0, कुल किता 02 कुल रकबा 12.6829है0** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 01.02.2023 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 03 की और जवाब पेश किया गया जो शा.फा.। विपक्षी संख्या 04 से 07 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः विपक्षी संख्या 04 से 07 के विरूद्ध न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार / स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

-::आदेश::-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है **ग्राम खैराबाद प.ह. खैराबाद भू0अभि0नि0 क्षैत्र खैराबाद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 545 की कृषि भूमि की आ0न0 57 रकबा 12.6576है0, आ0न0 58 रकबा 0.0253है0, कुल किता 02 कुल रकबा 12.6829है0** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 5100/-रू0 पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 28.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ (राज.)